

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)**

संख्या :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

प्रेषक,

मिथिलेश मिश्र, मा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,  
कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, दरभंगा, एवं पटना।

पटना, दिनांक :-

विषय :- मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आपके अधीनस्थ बंदोबस्त कार्यालय को बकाया वेतनादि एवं यात्रा व्यय मद में निम्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है :-

क्र०	विषय कोड	विषय शीर्ष	बंदोबस्त कार्यालय का नाम					कुल योग
			कटिहार	भागलपुर	लखीसराय	दरभंगा	पटना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 01	वेतन	200000	500000	1800000	68000	----	2568000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	300000	600000	2500000	130000	----	3530000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	----	50000	98000	----	----	148000
4	01 06	चिकित्सा भत्ता	2000	3000	25000	5400	----	35400
5	01 07	अन्य भत्ता	2000	1200	100000	600	----	103800
6	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	----	260000	----	----	380000	640000
7	11 01	यात्रा व्यय	100000	----	----	----	----	100000
8	13 01	कार्यालय व्यय	100000	200000	60000	50000	----	410000
9	13 03	दूरभाष	----	21600	----	----	----	21600
10	13 04	विद्युत प्रभार	----	25200	----	----	----	25200
11	13 06	वर्दी/पोशाक	5000	25000	----	----	----	30000
12	28 01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	700000	244680	210000	----	----	1154680
कुल योग :-			1409000	1930680	4793000	254000	380000	8766680
(सत्तासी लाख छियासठ हजार छः सौ अस्सी रूपये मात्र)								

*04/04/17*

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 890 दिनांक 20.05.2016 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. यह आवंटनादेश बकाया वेतनादि सहित के भुगतान हेतु निर्गत किया जाता है।
4. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
5. आपको यह भी निदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के निदेशानुसार अब निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या 40 एवं विपत्र कोड P. - 2029001020101 भी अंकित करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
6. व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मिथिलेश मिश्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

निबंधित

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, विश्वसरैया भवन, पटना, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

पटना, दिनांक


प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त पटना, पूर्णियाँ, मुंगेर, दरभंगा एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016..... 34 (आवंटन) पटना, दिनांक 02/02/2017

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक

3